



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदक संस्थान मेसर्स एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना रकबा 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के अभिमत से सहमत होते हुए रकबा 94.293 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 28/08/2023

स्थान: नवा रायपुर

5/28/23
(व्ही श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-274/2022

रायपुर, दिनांक 29/08/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

अटल नगर, नवा रायपुर

विषय:- Diversion of Additional 94.293 Ha. Revenue Forest Land of Gevra OC Expansion Project of M/s South Eastern Coalfields Limited for Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh.

(Registration No. FP/CG/MIN/41389/2019 dated 05-11-2019)

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के पत्र क्रमांक/तक./1298 दिनांक 11.05.2023 एवं पत्र क्रमांक/2233 दिनांक 02.08.2023

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा प्रकरण में महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत 94.293 हे. राजस्व वन भूमि पर "गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना" हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नवीन चेक लिस्ट अनुसार विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 01-11) - आवेदक संस्थान गेवरा ओपनकास्ट परियोजना, एसईसीएल गेवरा क्षेत्र, साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर द्वारा भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत कोरबा जिले में सन् 1979 से संचालित है। वर्तमान में इस परियोजना की कोयला उत्पादन क्षमता 52.5 मिलियन टन एवं 70.00 मिलियन टन प्रति वर्ष है एवं खदान का मौजूदा परिक्षेत्र 4186.486 हेक्ट. है। इस परियोजना का विस्तारीकरण कुल 4781.798 हेक्ट. (अतिरिक्त 597.312 हे.) में प्रस्तावित है जिसमें अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 14) - गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए पंजीयन क्रमांक FP/CG/MIN/41389/2019 दिनांक 05.11.2019 आबंटित किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 19.03.2021 से की जाती है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव 15 से 17) – प्रस्तावित गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए ग्राम गेवरा, खोडरी मेंसम्मिलित वन क्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 18 से 20) –कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए कुल गैर वनक्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 5. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 22) – गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का विस्तारीकरण हेतु राजस्व वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 6. वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 23 से 38) – गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का विस्तारीकरण हेतु राजस्व वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप 1:10000 स्केल पर मानचित्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र –4 में प्रस्ताव (पृष्ठ 39 से 44) –आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल गेवरा क्षेत्र ज़िला कोरबा द्वारा कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रपत्र 4 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भू-सतह उपयोग हेतु वन भूमि के लिये राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की धारा-2 अंतर्गत मंजूरी /स्वीकृति लेने का प्रारूप की सत्यापित प्रति संलग्न है। संलग्न किये गए प्रमाण पत्रों /दस्तावेजों की ब्यौरा सूचीपृष्ठ क्रमांक 23A में संलग्न है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 45 से 91) –प्रस्तावित गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना रकबा 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 92 से 93) –आवेदक संस्थानएस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र ज़िला कोरबा व्यय की राशि का भुगतान करने हेतु वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 94 से 95)– कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए

प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम होने तथा राजस्व वन भूमि अर्जन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 96 से 100) —प्रस्तावित गेवरा ओपन कास्ट विस्तार परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार द्वारा पत्र क्र. J-11015/85/2010-IA-II (M) दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रतिलिपि संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र — अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 101 से 130) — व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित गेवरा ओपन कास्ट विस्तार परियोजना हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि में संलग्न गणना पत्रक अनुसार 610 नग वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।

बि.क्र. 13. कास्ट / बेनिफिट ऐनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 131 से 137) —प्रस्तावित गेवरा खुली खदान परियोजना रकबा 94.293 हे. व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि का कुल लागत लाभ विश्लेषण की सत्यापित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है। उपरोक्त प्रस्ताव का कुल लागत लाभ विश्लेषण का Ratio 1:3.013 है।

बि.क्र. 14. चयनित गैर वनक्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा, मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 138) — गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि/राजस्व वनक्षेत्र संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव की चाही गई 01 प्रतियाँ संलग्न की गई हैं।

बि.क्र. 15. गैर वनक्षेत्र के आस-पास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 139) — कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए गैर वनक्षेत्र के आस-पास क्षेत्र के नक्शे की सत्यापित प्रति संलग्न हैं।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, प्रजाति विवरण सहित) (प्रस्ताव पृष्ठ 140 से 304) — गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के एवज में स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित गरियाबंद वनमण्डल, जिला गरियाबंद फिंगेश्वर में 54.00 हे. एवं छुरा में बिगड़े वन भूमि में 78.00 हे. तथा कटघोरा वनमण्डल, पाली में 58.00 हे. बिगड़े वनभूमि का विस्तृत ब्यौरा सहित शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, प्रजाति विवरण सहित सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 305) —आवेदक संस्थान मेसर्सएसईसीएल गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए चयनित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र के प्रस्तावित कक्षों में क्षतिपूर्ति अंतर्गत सिंचित वृक्षारोपण के कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 306 से 307) —आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में कोई उल्लंघन कार्य नहीं करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा का हस्ताक्षरित वचन पत्र जमा किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 308 से 309) —प्रस्तावित गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 310 से 311)—प्रस्तावित परियोजना हेतु रकबा 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 312 से 313) — गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का रकबा 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 314 से 385) — प्रस्तावित गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 4781.798 हे.एव एवं 5 कि.मी. के क्षेत्र राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए तैयार किए गए कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 386 से 404) — गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट के विस्तृत रिक्लेमेशन प्लान की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 405 से 406) —आवेदक संस्थान मेसर्सएसईसीएल गोवरा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत गोवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट के माईनिंग प्लान को सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (सीएमपीडीआई) भारत सरकार का एक उद्यमद्व द्वारा तैयार किया गया है एवं कोल ईंडिया लिमिटेड बोर्ड ऑफ़ डाईरेक्टर द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 407 से 429) — प्रस्तावित प्रोजेक्ट का व्यवस्थापन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति एवं कोल ईंडिया लिमिटेड की विस्तृत पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति 2012 की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 430 से 437) —आवेदक संस्थान मेसर्स एसईसीएल गोवरा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत गोवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित चाहे गए प्रपत्र में पूर्ण कर संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण —पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 438 से 439) — गोवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थल नहीं है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 440 से 468) — गोवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 469) — जिले की कुल वनभूमि संबंधित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति को संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 30. —वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 470 से 471) —जानकारी पूर्ण कर सत्यापित प्रति को संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 31. — वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा है. में (प्रस्ताव पृष्ठ 472) —जानकारी पूर्ण कर सत्यापित प्रति को संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 32 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 473) — प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है और ना ही प्रस्तावित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थित नहीं है और ना ही प्रस्तावित है। प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शों में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 474 से 475)— प्रस्तावित क्षेत्र का 15 कि.मी. परिधि का सत्यापित नक्शा संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 476 से 521)— महाप्रबंधक, एसईसीएल गेवरा द्वारा संशोधित जिला दण्डाधिकारी को निवेदन किया है क्योंकि जिला दण्डाधिकारी कोरबा के पत्र क्र0 517/भूअ/सअभूअ/216, कोरबा दिनांक 17.02.2016 एवं पत्र क्र0 519 के द्वारा एसईसीएल कुसमुण्डा खुली खदान विस्तार हेतु 142.257 हे0 राजस्व वन भूमि का राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं एफआरए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। तत्पश्चात महाप्रबंधक, एसईसीएल गेवरा द्वारा 94.293 हे0 एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 476 से 521) — महाप्रबंधक, एसईसीएल गेवरा द्वारा संशोधित जिला दण्डाधिकारी को निवेदन किया है क्योंकि जिला दण्डाधिकारी कोरबा के पत्र क्र0 517/भूअ/सअभूअ/216, कोरबा दिनांक 17.02.2016 एवं पत्र क्र0 519 के द्वारा एसईसीएल कुसमुण्डा खुली खदान विस्तार हेतु 142.257 हे0 राजस्व वन भूमि का राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं एफआरए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। तत्पश्चात महाप्रबंधक, एसईसीएल गेवरा द्वारा 94.293 हे0 संशोधित राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 522) — प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान का वचन पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 37. CLEARANCE UNDER FC ACT,1980 DEPOSITION OF FUNDS WITH THE AD-HOC CAMPA : REMITTANCES OF PRECEDE 2ND STAGE CLEARANCE (प्रस्ताव पृष्ठ 523)— व्यपवर्तन प्रस्ताव के

लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत द्वितीय चरण स्वीकृति से पहले प्रेषित राशि कैम्पा में जमा करने हेतु वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on soil productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 524) — गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए विस्तृत मृदा संरक्षण योजना जमा किया है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 525) — गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र जमा किया है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation) act 1980 stipulation of additional condition (the user agency shall establish and operate a vocational training institute) (प्रस्ताव पृष्ठ 526) — गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए आवेदित वनभूमि की मॉग न्यूनतम है एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक— पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 527)—बिन्दु क्रमांक—2 में विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 528) — गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए तैयार किए गए वन्य प्राणी परियोजनापर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लेने हेतु वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 529)—आवेदक गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण (प्रस्ताव 530) — गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 94.293 हे. राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए शासन द्वारा सभी निर्धारित

प्रतिरोपित शर्तों का पालन करने हेतुवचन पत्र जमा किया गया है। इसके अलावा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर उपरोक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेजों जैसे Land use plan (1:4000 scale), ई.डी.एस के जवाब, आवेदन Form-A की प्रति, नामांकन पत्र Form 2D, नमूना का हस्ताक्षर आदि की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/ दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 02 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- 1. प्रस्ताव 02 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग-4
(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-274/2023
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 29/08/2023

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य महा प्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, गेवरा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़